अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 जयपुर, दिनांकः 29 जून, 2020

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– महालेखाकार की लेखा पुस्तकों से वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय के अंक मिलान (Reconciliation) बाबत।

महोदय,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अ.शा.पत्र क्रमांक रिपोर्ट (एएडी)/2/(1175)/2019–20/601 दिनांक 23 जून, 2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके द्वारा समय समय पर अंकमिलान की स्थिति सूचित किए जाने एवं निरन्तर स्मरण पत्र जारी किए जाने के उपरान्त भी कतिपय बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार पूर्ण नहीं किया गया है।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कोविड–19 के परिदृश्य में उनके द्वारा माह दिसम्बर,2019 से फरवरी,2020 तक का वांछित रिकार्ड संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारियों को ई–मेल से प्रेषित कर दिया गया है तथा माह मार्च,2020 का रिकार्ड भी शीघ्र प्रेषित किया जा रहा है। इससे अंकमिलान कार्य हेतु विभागीय प्रतिनिधि को महालेखाकार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि लेखों में कोई विसंगति पाई जाती है तो ई–मेल से दस्तावेजों सहित हस्तान्तरण प्रविष्टि प्रेषित की जा सकती है।

महालेखाकार द्वारा वर्ष 2019–20 के आय–व्यय के अंकमिलान हेतु **अन्तिम तिथि (Cut-off date) 8 जुलाई, 2020 नियत की गई है।** उक्त तिथि के पश्चात् लेखों में सुधार सम्भव नहीं होगा। **अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं करने के परिणामस्वरूप लेखों में यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह होंगे।**

अंकमिलान कार्य पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय सारणी निर्धारित की हुई है और इस कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण कराने हेतु समय–समय पर नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध भी किया जाता रहा है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य दिनांक **8 जुलाई, 2020** से पूर्व आवश्यक रूप से पूर्ण करवाकर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रमाण पत्र की एक प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करावें।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

\\10.68.50.13\2003\2013\Sitaram Agarwal Letter\Reconcilation Letters .doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें

निदेशक, वित्त (बजट)

\\10.68.50.13\2003\2013\Sitaram Agarwal\Letter\Reconcilation Letters doc